

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 3184 / 12-1 ,

दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर, 22 /2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- कोटी बैंड से घटोड़ा मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 3618/10एल0ए0 दिनांक 21.12.2016 व पत्रांक 3644/10एल0ए0 दिनांक 22.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्ताव में आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग के माध्यम से किया गया, जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to point no. 2, it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-1. The muck disposal is proposed to be done on Nap Land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B-2.4 of online Part-1. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2 & B-2.3 of online Part-1 also.	इस कार्यालय के पत्रांक 3618/10 एल.ए. दिनांक 21.12.2016 द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कर आपको प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पुनः उक्त आपत्ति में वापस प्राप्त हुआ है। आपत्ति के सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि पार्ट-1 के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No. 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non-forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय अगर प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वनभूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।
2-	In reply to point no. 6, it is mentioned that the land of village Ghatora & Koti is involved in the construction of the proposed road and the proceedings of the meeting of Gram Sabha under FRA is enclosed. Further, it is seen that the proceeding of the meeting of Gram Sabha under FRA is submitted for Ghatora GP consisting of Ghatora village & Koti village only but the Gram Sabha proceeding for Bamiyala village mentioned in para-B-2.3 online part-a has not been submitted.	ग्राम बमियाला का Village level committee (VLC) FRA certificate (0.105 हे. आरक्षित वन) संलग्न करते हुए पार्ट-1 के क्रम संख्या K (a) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-1 पेज 2 से 9)

आप अनुरोध है कि प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक:- प्रस्तावक विभाग की पत्र के साथ संलग्न की प्रति।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग**

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 3644 / 10/म-CP
सेवा में,

दिनांक : 22 / 12 / 2016

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS Dated 22 December 2016.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार एवं आप द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to point no. 2, it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-1. The muck disposal is proposed to be done on Nap Land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B-2.4 of online Part-1. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2 & B-2.3 of online Part-1 also.	इस कार्यालय के पत्रांक 3618/10 एल.ए. दिनांक 21.12.2016 द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कर आपको प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पुनः उक्त आपत्ति में वापस प्राप्त हुआ है। आपत्ति के सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि पार्ट-1 के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No. 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non-forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय अगर प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वनभूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।

अतः उक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

(जे.पी.रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग
22/12/16



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग**

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 3618 / 10 Pl. Tg
सेवा में,

दिनांक :- 21/12/2016

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- कोटी बैंड से घतोड़ा मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS Dated 13 October 2016 & 16 November 2016.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to point no. 2, it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-1. The muck disposal is proposed to be done on Nap Land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B-2.4 of online Part-1. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2 & B-2.3 of online Part-1 also.	Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि नहीं हो पा रही है।
2	In reply to point no. 6, it is mentioned that the land of village Ghatora & Koti is involved in the construction of the proposed road and the proceedings of the meeting of Gram Sabha under FRA is enclosed. Further, it is seen that the proceeding of the meeting of Gram Sabha under FRA is submitted for Ghatora GP consisting of Ghatora village & Koti village only but the Gram Sabha proceeding for Bamiyala village mentioned in para-B-2.3 online part-a has not been submitted.	ग्राम बमियाला का Village level committee (VLC) FRA certificate (0.105 हे. आरक्षित वन) संलग्न करते हुए पार्ट-1 के क्रम संख्या K (a) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-1 पेज 2 से 9)

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्त।

(जे.पी.स्तूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग
21/12/16

1.6(a)

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. / Dated : 14 / 01 / 2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.099 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand for Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** falls within jurisdiction of Ghathora Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (d) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.099 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (f) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above


Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.09.2015. At 14.09.2015 at Chamoli in which the application claiming rights in village Ghathora of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.099 Hectares for the **Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Sanjay Kumar
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्डचमोली.....परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि 0.378 हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.616 हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.099 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- कर्णप्रयाग) की दिनांक 13/01/015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 13/01/015 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1:- श्रीउपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग () अध्यक्ष

2:- श्रीउप प्रभागीय बनाधिकारी सदस्य

3:- श्री मोहन सिंह भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग सदस्य

4:- श्रीबी.डी.सी. क्षेत्र पंचायतकोटी.... सदस्य,

5:- श्रीवन अधिकार समिति सदस्य

6 श्रीवन अधिकार समिति सदस्य

7 श्रीउपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग का परियोजना हेतु 1.099 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~चमोली जिला वन अधिकारी~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अर्न्तगत कोटी वैण्ड से घातौडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु 1.1.2.2 है। वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कर्णप्रयाग
जनपद — चमोली।

प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कर्णप्रयाग
जनपद — चमोली।

1.6(d)

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- घतोडा,

तहसील - कर्णप्रयाग, जिला- चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.378 हे. सिविल सोयम भूमि 0.616 हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात् कुल 1.099 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायतघतोडा... द्वारा दिनांक06/01/2015.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घतोडा एवं कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



06/01/15
ज्येष्ठ सचिव प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./-

ग्राम सचिव,

ग्राम प्रधान- घतोडा,

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 06/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - घतोडा,

क्रमांक

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

1:- सर्व, श्री रघुवीर सिंह कोटिमावल

2:- १) प्रताप सिंह नेगी

3:- ११ नन्दन सिंह कोटिमावल

4:- ११ अवतल सिंह नेगी

5:- ११ प्रेम सिंह पवार

6) महिपाल सिंह पवार

7) दिगम्बर सिंह नेगी

8) पुष्कर सिंह पवार

9) श्रीराम सिंह पवार

10) कुरुदीप सिंह नेगी

11) जयदीप देवी

12) लनी देवी

Ramji

नन्दन सिंह

अवतल सिंह

प्रेम सिंह

महिपाल सिंह

दिगम्बर सिंह

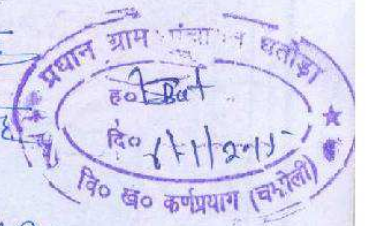
पुष्कर सिंह

श्रीराम सिंह

कुरुदीप सिंह

जयदीप देवी

लनी देवी



उपस्थित उप प्रमुख
ग्राम पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र- 23.1

परियोजना का नाम:-

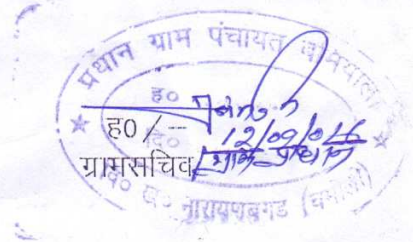
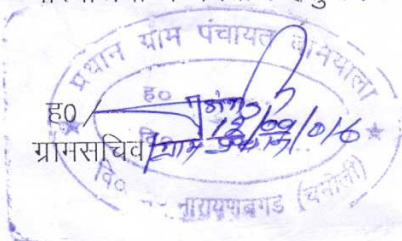
वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रग्राम पंचायत का नाम कमिथालातहसील बुधगढ़ जिला जयपुर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद शुभली अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित डी.डी. ११
से. के.डी. गे.डी. सा.ग. परियोजना के निर्माण हेतु ०.१०५ हे० आरक्षित वनभूमि ४ हे० सिविल
 सोयमभूमि ४ हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल ०.१०५ हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग
 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
 प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कमिथाला द्वारा दिनांक १३/०६/२०१६ को
 सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
 अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006
 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
 कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर
 ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सार्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
 ग्राम कमिथाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ०.१०५ आरक्षित वन प्रयोक्ता एजेन्सी को
 परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका
 विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को
 उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 13/09/2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत जिते सिं

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मान सिंह	मान सिंह
2	जगत सिंह	जगत सिंह
3	रघुवीर	रघुवीर
4	मन सिंह	मन सिंह
5	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
6	गुमान सिंह	गुमान सिंह
7	जिते सिंह	जिते सिंह
8	उदय सिंह	उदय सिंह
9	महेश सिंह	महेश सिंह
10	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
11	बलवंत सिंह	बलवंत सिंह
12	लाल सिंह	लाल सिंह
13	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
14	महोपाल	महोपाल सिंह
15	केसर सिंह	केसर सिंह

हो.
वन पंचायत सचिव
जिते सिंह

